SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.12.2021

लोक अदालत के माध्यम से पीड़िता को मिला न्याय

माननीय मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संवेदनशीलता एवं प्रयासों से पीड़िता को मिला न्याय।

प्रार्थिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डी.बी. सिविल रिट याचिका प्रार्थिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाए कि उसे अध्यापिका ग्रेड़–III लेवल–II (सामाजिक विज्ञान) के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय टमोलाई नाड़ी, पचांयत समिति जायल, जिला नागौर के पद पर कार्यभार ग्रहण करावें एवं परिवीक्षा की अवधि पूर्ण होने से उसकी सेवाओं को नियमित करते हुए उसे नियमित वेतनमान, वेतन स्थिरीकरण एवं अन्य परिणामी लाभ प्रदान किए जाए।

याचिकाकर्ता द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निवेदन पत्र लिखते हुए यह कथन किया गया कि विधिक सहायता की ओर से उसे पांच अधिवक्तागण की सेवाएं उपलब्ध करवायी जा चुकी है परन्तु सभी द्वारा उसकी पत्रावली उसे वापस कर दी गयी। अंत में उसके प्रकरण को उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच से मुख्य पीठ, जोधपुर में अंतरित करने बाबत निवेदन किया गया।

माननीय मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अतिसंवेदनशीलता दर्शित करते हुए प्रकरण को सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष रखने का आदेश दिया गया।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व प्री–काउन्सलिंग वार्ता हेतु रखा गया, जिसमें विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर, मुख्य ब्लॉक अधिकारी, जायल, नागौर, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, नागौर, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर उपस्थित रहे। उक्त अधिकारीगण के साथ राजकीय अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित रही।

प्री–काउन्सलिंग वार्ता राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव श्री दिनेश गुप्ता एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव डॉ. मनोज सोनी द्वारा दिनांक 17.11.2021 को करवायी गयी। सदस्य सचिव के अथक प्रयासों से पक्षकारान के बीच में यह समझाईश हुई कि प्रार्थिया, जिला शिक्षा अधिकारी नागौर के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगी, तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक उचित प्रस्ताव बनाकर अनुमोदनार्थ निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को अविलम्ब भिजवायेंगे तथा सक्षम

स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर प्रार्थिया को अवगत करवायेंगे। प्रार्थिया सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब कार्य ग्रहण करने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय टमोलाई नाड़ी, पंचायत समिति जायल, नागौर में विद्यालय समय के आरम्भ होने पर उपस्थित होंगी। उपस्थित प्राधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा आवश्यक दस्तावेजात प्राप्त करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करा लिया जाएगा एवं वे कार्यभार ग्रहण कर अपने कर्तव्यों का निर्देशानुसार निर्वहन करेंगी। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रार्थिया के अनुपस्थित रहने की अवधि का नियमानुसार उचित अवकाश जिसमें असाधारण अवैतनिक अवकाश भी सम्मिलित है, स्वीकृत कराने का प्रस्ताव बनाकर उचित माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे, जिससे कि प्रार्थिया की कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि की सेवा में हुई व्यवधान उत्पन्न न हो, परीविक्षा काल/वार्षिक वेतन वृद्धि/चयनित वेतन मान आगे न खिसके तथा कोई भी नियमानुसार देय सेवालाभ/परिलाभ विपरीत रूप से प्रभावित न हो। यदि नियमानुसार ऐसा करने में कोई अड़चन हो तो राज्य सरकार को नियमों के प्रचलन में शिथिलन की अनुशषां करते हुए प्रस्ताव भिजवायेंगे। कार्यभार ग्रहण करने तक की तिथि तक के नोशनल लाभ देय होंगे। सेवा का स्थायीकरण जिला स्थापना समिति, जिला परिषद नागौर के अनुमोदन से किया जाएगा। 31 दिसम्बर, 2021 तक उक्त समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर दिनांक 01.01.2022 से प्रार्थिया को सही रूप से देय वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित होगी तो वह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराये जाने पर अमल में लाई जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी कोई भी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ भेजेंगे तो वह उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे।

प्री–काउन्सलिंग वार्ता के दौरान हुई समझाईश के आधार पर प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 11.12.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या 2 द्वारा प्रार्थिया की राज्य सरकार एवं अन्य के विरूद्ध लंबित एस.बी. सिविल रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अवॉर्ड पारित किया गया।

यहां यह ज्ञात्वय है कि प्री–काउन्सलिंग वार्ता के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को वांछित स्वीकृति प्रदान करने हेतु लिखा गया। अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर को प्रार्थिया के प्रकरण में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने हेतु लिखा गया, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर द्वारा प्रार्थिया को प्री–काउन्सलिंग में वार्ता अनुसार मूल पदस्थापन स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय टमोलाई नाड़ी, पंचायत समिति जायल, नागौर में कार्यग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुसरण में प्रार्थिया द्वारा दिनांक 10.12.2021 को मध्यान्ह पश्चात कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 में निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.12.2021

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय, बारां

यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु पारिवारिक न्यायालय, बारां में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह वर्ष 2011 में सम्पन्न हुआ। विवाह पश्चात् पक्षकारान् के एक पुत्री का जन्म हुआ। कुछ समय पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थिया में आपसी अनबन हो गयी तथा पारिवारिक तनाव के चलते अप्रार्थिया अपने पीहर चली गयी। प्रार्थी कई बार अप्रार्थिया को लेने भी गया परंतु अप्रार्थिया लौटकर नहीं आयी। उक्त प्रकरण दिनांक 11.12.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें अप्रार्थिया को न्यायालय में बुलाया गया एवं काउंसलर्स के सहयोग से दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। उनकी पुत्री को अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर में दिनांक 11.12.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य अचल सम्पत्ति के भाग एवं कब्जे को लेकर विवाद था। उक्त अचल सम्पत्ति के भाग एवं कब्जे को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में वर्ष 1986 में उक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण को दिनांक 11.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष तथा सदस्यगण द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग करवायी गई। लगभग 35 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतभाटा, चित्तौड़गढ

न्यायालय – अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतभाटा, चित्तौड़गढ में दिनांक 11.12.2021 को निस्तारित यह प्रकरण दो पक्षों के मध्य अन्तर्गत धारा 138 एन. आई. एक्ट 1,50,000/– रूपये को लेकर था। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षकारान् को लोक अदालत में समझाइश हेतु नोटिस जारी कर कई चरणों में पक्षकारान् को एक साथ बैठाकर समझाइश की गई जिसके परिणामस्वरूप परिवादी शकील द्वारा लोक अदालत की भावना से सम्पूर्ण राशि को माफ करते हुए राजीनामे के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण करवाया एवं वर्षों पुरानी रंजिस को खत्म किया। दोनो पक्षकारान के मध्य रूपयों के लेन–देन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हमेशा के लिए अंत हो गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.12.2021

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा में दिनांक 11.12.2021 को निस्तारित तीन प्रकरणों में उभय पक्षकारान् के मध्य आवासीय भूखण्ड के इकरारनामे एवं बेचान को लेकर सन् 2011 से विवाद चला आ रहा था। उक्त प्रकरणों में पक्षकार 'अ' के द्वारा स्वयं के खातेदारी कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि में से आवासीय प्लॉट काटकर भूमि का बेचान किया गया, जिसके संबंध में पक्षकारों को पृथक–पृथक इकरारनामे निष्पादित किए गए थे। पृथक–पृथक इकरारनामे विवादित भूमि के बेचान बाबत होने से उक्त प्रकरणों में संविदा की विनिर्दिष्टा अनुपालना व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा दो पक्षकारों द्वारा किया गया था। वादी 'अ' की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के द्वारा उक्त इकरारनामों को विवादित करते हुए वादी 'ब' के विरूद्ध बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया था। प्रकरणों में विवाद को देखते हुए प्री–काउंसलिंग के द्वारा काफी समझाइश की गई जिसके तहत तीनों दावों के उभय पक्षकारान् व्यक्तिगत रूप से भिन्न–भिन्न स्थानों से वास्ते राजीनामा न्यायालय में उपस्थित हुए एवं आपसी समझाइश से विवादित भूमि पर वादी 'ब' के कब्जे की सहमति दी गयी एवं अन्य सभी लेन–देन को पूर्ण रूप से राजीनामे के माध्यम से निस्तारित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 10 वर्षों से लम्बित तीनों प्रकरणों का राजीनामे की भावना से अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या– 05, जयपुर महानगर द्वितीय

इस प्रकरण में परिवादी 'अ' द्वारा आरोपी 'ब' एवं 'स' के विरूद्ध न्यायालय – अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या– 05, जयपुर महानगर द्वितीय में दिनांक 02.05.2001 को परिवाद प्रस्तुत किया गया। उक्त परिवाद पुलिस थाना मालवीय नगर में 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस थाना मालवीय नगर द्वारा एफआईआर नंबर 213/2001 दर्ज की गई। तत्पश्चात् बाद अनुसंधान एसएचओ, पुलिस थाना मालवीय नगर द्वारा नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू सिविल नेचर में पेश की गई। उक्त एफ. आर. को परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट किए जाने पर दिनांक 20.08.2002 को न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 406, 420 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 में प्रकरण को रखा गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य समझाइश की गयी जो सफल रही जिसके फलस्वरूप पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से परिवाद का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण करवाया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लगभग 20 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 11.12.2021

न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता

न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता में दिनांक 11.12.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक किराये की दुकान को लेकर वर्ष 1979 से विवाद था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी ने वादी के गोद पिता से एक दुकान मासिक किराये के आधार पर ली एवं आगे सबलेट कर दी। वादी के गोद पिता की मृत्यु हो चुकी थी तथा वादी की गोद माता व वादी के मध्य मालिकाना हक सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो गया। वादी की आयु उस वक्त 16 वर्ष थी जिससे उसने जरिये वली जायन्दा पिता के मार्फत दुकान का चढ़ा किराया व खाली करने बाबत् दावा प्रतिवादी व अपनी गोद माता के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त दावा न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान ही प्रतिवादी ओमप्रकाश उक्त दुकान को समय–समय पर अन्य व्यक्तियों को सबलेट करता रहा। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 में प्रकरण को रखा गया। बैंच अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा एवं दोनों पक्षकारान् के अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारान् के मध्य समझाइश की गयी। श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी उक्त प्रकरण में समझाइश के प्रयास किए। अंततः पक्षकारान् राजीनामा हेतु सहमत हुए। प्रतिवादी 02 माह में दुकान खाली करवाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करने को राजी हो गया तथा वादी एवं उसकी गोद माता के मध्य मालिकाना हक का विवाद भी सुलझ गया। लगभग 42 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 11.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – पारिवारिक न्यायालय, पाली

यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु पारिवारिक न्यायालय, पाली में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया के मध्य लगभग विगत 10 वर्षों से विवाद चला आ रहा था। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 में प्रकरण को रखा गया। जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

****